सेवा में,

अति शीघ्र आवश्यक कानूनी कार्यवाही हेतु।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय
उ0 प्र0 सरकार, लखनऊ।

दिनांक: 04.05.2022

विषयः प्रार्थिनी अनिता को ससुराल पक्ष के दहेज लोभियों द्वारा मानसिक व शारीरिक रूप से परेशान करने तथा नाजायज दहेज की मांग पूरी न करने पर जान से मारने का प्रयास करने तथा नाबालिक बच्चे रेयांश को पुलिस की सहायता से प्रार्थिनी को सौंपे जाकर ससुराल पक्ष के दहेज लोभियों के विरूद्ध उचित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र।

श्रीमान जी,

निवेदन है कि प्रार्थिनी अनिता पुत्री राजवीर प्रजापति निवासी याकुतपुर मवी (मऊ) थाना निवाडी जिला–गाजियाबाद की शादी दिनांक 05.03.2016 को पिन्टू पुत्र राजपाल निवासी मैडिक्ल सराय थाना मैडिकल जिला मेरठ के साथ हिन्दु रीति–रिवाज के अनुसार हुई थी जिसमें मेरे माता–पिता ने लगभग 8 लाख रूपये खर्च किये थे तथा एक मोटर साईकिल भी दी थी। लेकिन शादी के बाद से ही प्रार्थिनी के ससुराल वाले पति पिन्टु (मो0–9528909050) दहेज से से खुश नहीं थे तथा एक कार व दो लाख रूपये नगद की मांग करते मना करने पर प्रार्थिनी के साथ गाली–गलौच व मारपीट करते और कई–कई दिन भूख रखते। प्रार्थिनी इनकी सभी यातनाओं को यह सोचकर सहन करती रही कि कभी तो समझ आयेगी और सब कुछ ठीक हो जायेगा। इसी बीच प्रार्थिनी एवं प्रार्थिनी के पति के सम्बन्ध में एक पुत्र जिसका नाम रेयांश उम्र 5 वर्ष ओर एक पुत्री प्रियांसी उम्र 4 वर्ष पैदा हुई। लेकिन इनका व्यवहार और भी क्रूर होता चला गया और दिनांक 05.04.2021 को इन उपरोक्त लोगों ने एकरॉय होकर जान से मारने की नीयत से पति ने लात–घूसों से मारपीट की और मुँह भींचा और ससुर व सास (मो0–8977044700) ने दोनो पैर पकडे, देवर मनीष (मो0–9808608971, 9997517136) व फूफस अनिता ने दोनो हाथ पकड़े और फिर पति ने प्रार्थिनी की गर्दन में चुन्नी से फंदा लगाया जिससे प्रार्थी की चीख निकल गयी। चीख की आवाज सुनकर आस–पास पडौस के काफी लोग आ गये और उन्होंने प्रार्थिनी को बचाया। तब इन लोगों ने प्रार्थिनी को कहा कि तू अपने घर चली जा और दोबारा इस घर में आना है तो एक कार व दो लाख रूपये लेकर आना और प्रार्थिनी को पहने कपडों में प्रार्थिनी के पुत्र रेयांश को छीनकर पुत्री के साथ भगा दिया। प्रार्थिनी जैसे–तैसे अपने मायके पहूंची और घटना की जानकारी दी उसके बाद प्रार्थिनी के मायके वालों ने स्वयं व रिश्तेदारों व समाज मे मौजिज व्यक्तियों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया लेकिन ये लोग अपनी मांग पर अडे हुए है। इन लोगों से प्रार्थिनी व उसके पुत्र व पुत्री की जान–माल की सुरक्षा की जानी अति आवश्यक है। ये उपरोक्त लोग ने आज तक भी प्रार्थिनी की पुत्री व उसकी कोई खैर खबर नहीं ली है और न ही कोई खैर–खर्चा दिया है और न ही प्रार्थिनी के पुत्र को प्रार्थिनी को सौंपा है तथा प्रार्थिनी को अपने पुत्र से जुदा हुए करीब 1 वर्ष से अधिक हो गया है। जिसके पालन–पोषण भी वे लोग ठीक प्रकार से नहीं कर पा रहें है। जिसको प्रार्थिनी को सौंपा जाना अति आवश्यक है।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि उक्त प्रकरण का गंभीरता से संज्ञान लेकर उपरोक्त पिन्टू, राजपाल, सावित्री, मनीष आदि से प्रार्थिनी व उसके पुत्र व पुत्री की जान–माल की सुरक्षा करते हुए प्रार्थिनी की रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

प्रतिलिपि आवश्यक सूचना एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. माननीय श्रीमती आनन्दी बेन पटेल, राज्यपाल उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
2. मा0 मिन्स्ट्री ऑफ शोसल जस्टिस एण्ड इम्पूमैन्ट मंत्री, महोदय भारत सरकार।
3. मा0 चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, नई दिल्ली।
4. सेवा में राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली।
5. सेवा में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली।
6. मा0 चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट, उत्तर प्रदेश।
7. माननीय पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, उ0 प्र0 लखनऊ।
8. श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद–गाजियाबाद।
9. श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद–मेरठ।
10. थानाध्यक्ष महोदया, महिला थाना–गाजियाबाद।
11. श्रीमान थानाध्यक्ष महोदय, थाना–मोदीनगर।
12. श्रीमान थानाध्यक्ष महोदय, थाना–मैडिकल, मेरठ।

प्रार्थिनी अनिता

अनिता पुत्री राजवीर प्रजापति निवासी
याकुतपुर मवी (मऊ) थाना निवाडी
जिला–गाजियाबाद
मो0–9756736578, 9568739634

PHOTO
HARMANDER DHILLON